

राजवीर V/S श्रीपाल

में जारी हुए

30/5/23 फतावली पेश हुई। वादी एवं वादी

वकील अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज

लगावाई गयी। कीर्ति हाजिर अदालत नहीं हुआ।

अतः मूल वाद अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज

रिपा जाता है। फतावली फौजदारी - शूमार ही कर-नाम्बर

से कम है। वाद पूर्ति कारखाने दफ्तर ही खुनापा गया।

सहायक कलेक्टर  
बहरोड़ (अलवर) राज.